क्रम-संख्या-298

रजि० नं० एल. डब्लू. /एन. पी. 890

लाइसेन्स नं० डब्लू० पी०-41

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 31 जुलाई, 1997

श्रावण 9, 1919 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग—1

संख्या 1088/सत्रह-वि-1—1(क)-6-1997

लखनऊ, 31 जुलाई, 1997

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1997 पर दिनांक 30 जुलाई, 1997 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 1997 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अधिनियम, 1997

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 1997)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1972 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के अड़तालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अधिनियम, 1997 कहा जायेगा।

(2) यह 15 जनवरी, 1996 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7 सन् 1972 की धारा 2 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1972 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 2 में, उपधारा (1) में, शब्द "दो वर्ष की अवधि या उक्त अधिनियम की धारा 13 के अधीन निर्वाचित मण्डी समिति का संगठन होने तक के लिए" के स्थान पर अंक तथा शब्द "31 दिसम्बर, 1998 तक या उक्त अधिनियम की धारा 13 के अधीन निर्वाचित मण्डी समिति के गठन होने तक" रख दिये जायेंगे ।

वैधीकरण

3—शंकाओं के निराकरण के लिए एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि मण्डी समिति, उसके सभापति और उप सभापति के अधिकार, कृत्य और कर्तव्य, जो दिनांक 15 जनवरी, 1996 के ठीक पूर्व मूल अधिनियम की धारा 2 के अधीन जिला मजिस्ट्रेट में निहित थे, तब तक जिला मजिस्ट्रेट में विधिमान्यतः निरन्तर निहित समझें जायेंगे जब तक कि उपर्युक्त धारा के अधीन तदर्थ समिति का नामांकन या उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 की धारा 13 के अधीन किसी निर्वाचित मण्डी समिति का गठन न हो जाय और दिनांक 15 जनवरी, 1996 को या उसके पश्चात् किसी भी समय जिला मजिस्ट्रेट द्वारा उक्त अधिकारों के प्रयोग, कृत्यों के सम्पादन और कर्तव्यों के पालन में कृत कोई कार्य या कार्यवाही विधिमान्य समझी जायगी, मानो इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे ।

निरसन और अपवाद

4—(1) उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अध्यादेश, 1997 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है । उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 4 सन् 1997

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी, मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे ।

आज्ञा से,
रविन्द्र दयाल माथुर,
प्रमुख सचिव ।

No. 1088 (2)/XVII-V-1—1 (KA) 6-1997
Dated Lucknow, July 31, 1997

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Samitis (Alpakalik Vyavastha) (Sanshodhan) Adhiniyam, 1997 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 5 of 1997) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on July 30, 1997.

THE UTTAR PRADESH KRISHI UTPADAN MANDI SAMITIS (ALPAKALIK VYAVASTHA) (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 1997

(U.P. ACT No. 5 OF 1997)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Samitis (Alpakalik Vyavastha) Adhiniyam, 197

IT IS HEREBY enacted in the Forty-eighth Year of the Republic of India as follows :—

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Samitis (Alpakalik Vyavastha) (Sanshodhan) Adhiniyam, 1997.

(2) It shall be deemed to have come into force on January 15, 1996.

Amendment of section 2 of U.P. Act no. 7 of 1972

2. In section 2 of the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Samitis (Alpakalik Vyavastha) Adhiniyam, 1972, hereinafter referred to as the principal Act, in sub-section (1), *for* the words "for a period of two years", the words and figures " till December 31, 1998" shall be *substituted*.

Validation

3. For the removal of doubts it is hereby declared that the powers, functions and duties of the Market Committee, its Chairman and Vice-Chairman, vested in the District Magistrate under section 2 of the principal Act immediately before January 15, 1996, shall be deemed to have validly continued to be vested in the District Magistrate untill the nomination of *ad hoc* Committee under the aforesaid section or the constitution of an elected Mandi Samiti under section 13 of the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Adhiniyam, 1964 and anything done or any action taken by the District Magistrate in exercise, performance and discharge of the said powers, functions and duties at any time on or after January 15, 1996, shall be deemed to be valid as if the provisions of the principal Act as amended by this Act were in force at all material times.

U.P.Ordinance no. 4 of 1997

Repeal and savings

4. (1) The Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Samitis (Alpakalik Vyavastha) (Sanshodhan) Adhyadesh, 1997 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1), shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act, as if the provisions of this Act were in force at all material times.

By order,
R. D. MATHUR,
Pramukh Sachiv.

यू०एस०यू०पी०–ए०पी० 109 सा० विधायी–1–8–97–(859)–1997–850–(कम्प्यूटर/आफसेट)।